

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक एफ 3(3)प्रमुवसं/लेखा/बजट/2016-17/

दिनांक:

समस्त वन खण्ड अधिकारी

विषय:- साख-सीमा (बजट ऑन लाईन) के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जिन बजट मदों में बजट का आवंटन साख-सीमा के माध्यम (WAM) से हो रहा है उन बजट मदों में साख-सीमा जारी (बजट ऑन लाईन) करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नियन्त्रण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर पश्चात निम्न प्रारूप में प्रस्ताव भिजवावे। उक्त प्रस्ताव वर्ष में एक बार ही भिजवाने है लेकिन बजट में संशोधन होने पर तुरन्त सूचना विभाग की ई-मेल आई.डी. faforest144@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

बजट कोड	पूर्ण बजट मद (13 अंकों में)	विस्तृत मद	राज्य निधि/ राज्य निधि प्रतिबद्ध / केन्द्रीय सहायता	कुल आवंटित बजट	अब तक प्राप्त साख सीमा	शेष
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय,

३०

वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग

dt 12.11.17 राजस्थान, जयपुर।

क्र. ५४५-४४

- प्रतिलिपि:- 1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान, जयपुर।  
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।  
3. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर/विभागीय, कार्य, जयपुर।  
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा अरण्य भवन, को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

३०/११/२०१७  
वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग  
राजस्थान, जयपुर।